

भारत सरकार  
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय

केन्द्रीय मनश्चिकित्सा संस्थान, रांची में दफ्तरी के पद के लिए प्रारूप भर्ती नियमों पर सार्वजनिक सूचना

कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 13.10.2015 के का.जा.सं.एबी.14017/61/2008-एस्ट (आरआर) के अनुपालन में, केन्द्रीय मनश्चिकित्सा संस्थान, रांची में दफ्तरी के पद के लिए प्रारूप भर्ती नियम संलग्न हैं।

प्रारूप भर्ती नियमों पर आपत्ति/टिप्पणी करने या सुझाव देने के इच्छुक व्यक्ति (स्टेक होल्डर्स) अपनी आपत्ति/टिप्पणी या सुझाव इन प्रारूप भर्ती नियमों के प्रकाशन की तारीख से 30 दिनों की अवधि के अंदर लिखित रूप में श्री अजय कुमार केपी, अवर सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, कमरा नं. 521-ए, निर्माण भवन, मौलाना आजाद रोड, नई दिल्ली-110108 को या ई-मेल पते: [ajaya59@gmail.com](mailto:ajaya59@gmail.com) पर भेज सकते हैं।

(अजय कुमार केपी)  
अवर सचिव, भारत सरकार  
टेलीफोन: 011-23061342

नई दिल्ली  
दिनांक:

अनुलग्नक

क्र.सं.	अनुसूची के अनुसार	वर्तमान भर्ती नियमों में प्रावधान	प्रस्तावित भर्ती नियमों में संशोधित प्रावधान	परिवर्तन के कारण/ टिप्पणी
1.	पद का नाम	दफ्तरी	दफ्तरी	
2.	पदों की सं.	1	1* (2017) (कार्य-भार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है)	
3.	वर्गीकरण	अराजपत्रित, अननुसचिवीय	सामान्य केन्द्रीय सेवा समूह 'ग' अराजपत्रित, अननुसचिवीय	कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 31.3.2015 के एबी-14017/13/2013 - एस्ट (आरआर) में दिए गए दिशा-निर्देशों के अनुसार
4.	वेतनमान (वेतन अब वेतन मैट्रिक्स में)	रु. 35-1-50 (पहला के.वे.आ.) रु. 75-1-85- ईबी-2-95 (दूसरा के.वे.आ.) रु. 200-3-206-4-234-ईबी-4-250 (तीसरा के.वे.आ.) रु. 775-12-871-ईबी-14-995-15-1030-20-1150 (चौथा के.वे.आ.) एस2ए (2610-60-2910-65-3300-70-4000) (पांचवा के.वे.आ.)  पीबी-1, जीपी-1800 (छठा के.वे.आ.)	वेतन मैट्रिक्स का लेवल-2 (रु. 19900)	फीडर एवं प्रोन्नति वाले पद का छोटे केन्द्रीय वेतन आयोग में पीबी-1, ग्रेड वेतन- 1800 का समान वेतनमान है, इसलिए दफ्तरी के पद के भर्ती नियमों के संशोधन में सातवे के.वे.आ. में वेतन मैट्रिक्स के लेवल-2 का वेतनमान (संशोधन पूर्व पीबी-1, ग्रेड वेतन रु. 19900) का प्रस्ताव किया गया है।
5.	क्या चयन पद अथवा अचयन पद	लागू नहीं	अचयन	कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 31.3.2015 के एबी-14017/13/2013 - एस्ट (आरआर) में दिए

				गए दिशा-निर्देशों के अनुसार
6.	सीधे भर्ती के लिए आयु-सीमा	25 वर्ष	लागू नहीं	कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 31.3.2015 के एबी-14017/13/2013 - एस्ट (आरआर) में दिए गए दिशा-निर्देशों के अनुसार
7.	सीधे भर्ती के लिए अपेक्षित शैक्षणिक तथा अन्य अर्हता	अंग्रेजी के साथ मिडिल स्कूल कक्षा।	लागू नहीं	प्रोन्नति वाला पद होने के कारण शैक्षिक अर्हता का मानदंड लागू नहीं होना चाहिए।
8	क्या सीधे भर्ती के लिए निर्धारित आयु एवं शैक्षणिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों के मामले में लागू होंगी।	अर्हता: हां आयु: नहीं	लागू नहीं	कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 31.3.2015 के एबी-14017/13/2013 - एस्ट (आरआर) में दिए गए दिशा-निर्देशों के अनुसार
9.	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो।	2 वर्ष	कोई परिवीक्षा नहीं	कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 31.3.2015 के एबी-14017/13/2013 - एस्ट (आरआर) में दिए गए दिशा-निर्देशों के अनुसार
10.	भर्ती की पद्धति: क्या सीधी भर्ती द्वारा या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति द्वारा या आमेलन द्वारा और विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता	100% प्रोन्नति द्वारा	100% प्रोन्नति द्वारा	
11.	प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती के मामले में वे ग्रेड जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा।	स्थायी एवं स्थायीवत अनुचर	वेतन मैट्रिक्स के लेवल-1 के ग्रेड में 3 वर्ष की नियमित सेवा रखने वाले मल्टी टास्किंग स्टाफ।	कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 31.3.2015 के का.जा.सं. एबी-14017/13/2013 - एस्ट (आरआर) में दिए गए दिशा-निर्देशों के अनुसार
12.	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना	-	विभागीय प्रोन्नति समिति:	कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक

			1. निदेशक (सीआईपी) - अध्यक्ष 2. चिकित्सा अधिकारी-सदस्य 3. प्रशासनिक अधिकारी-सदस्य	31.3.2015 के एबी-14017/13/2013 - एस्ट (आरआर) में दिए गए दिशा-निर्देशों के अनुसार
13.	भर्ती करते समय किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।	लागू नहीं	लागू नहीं	कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 31.3.2015 के एबी-14017/13/2013 - एस्ट (आरआर) में दिए गए दिशा-निर्देशों के अनुसार